पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 29

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		967.21	121.05	1088.26	917.21	113.80	1031.01	984.55	114.59	1099.14
पूंजी		*22.79*	*...*	*22.79*	*22.79*	*...*	*22.79*	*25.45*	*...*	*25.45*
जोड़		**990.00**	**121.05**	**1111.05**	**940.00**	**113.80**	**1053.80**	**1010.00**	**114.59**	**1124.59**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	8.44	8.44	...	8.25	8.25	...	8.39	8.39
वानिकी और वन्यजीवन										
2. शिक्षा और प्रशिक्षण										
2.01 राज्य वन रेंजर्स महाविद्यालय	2406	1.00	7.06	8.06	1.00	2.19	3.19	1.00	2.22	3.22
	4406	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*1.50*	*7.06*	*8.56*	*1.50*	*2.19*	*3.69*	*1.50*	*2.22*	*3.72*
2.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	2406	2.71	...	2.71	2.71	2.76	5.47	2.74	2.81	5.55
	4406	4.79	...	4.79	4.79	...	4.79	2.26	...	2.26
	जोड़	*7.50*	*...*	*7.50*	*7.50*	*2.76*	*10.26*	*5.00*	*2.81*	*7.81*
2.03 भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण	2406	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.04 भारतीय वानिकी प्रबंध संस्थान	2406	3.00	...	3.00	3.00	0.91	3.91	4.00	0.82	4.82
जोड़-शिक्षा और प्रशिक्षण		**13.00**	**7.06**	**20.06**	**13.00**	**5.86**	**18.86**	**11.50**	**5.85**	**17.35**
3. अनुसंधान										
3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद	2406	34.00	11.34	45.34	34.00	11.48	45.48	34.00	11.46	45.46
3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	2406	2.00	...	2.00	2.00	1.04	3.04	1.50	1.04	2.54
	जोड़	*36.00*	*11.34*	*47.34*	*36.00*	*12.52*	*48.52*	*35.50*	*12.50*	*48.00*
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग-भारतीय वन सर्वेक्षण	2406	4.50	5.49	9.99	4.50	5.35	9.85	4.50	5.45	9.95
	4406	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
	जोड़	*7.00*	*5.49*	*12.49*	*7.00*	*5.35*	*12.35*	*7.00*	*5.45*	*12.45*
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन										
5.01 पुनर्जनन-वन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	2406	5.00	...	5.00	4.65	...	4.65	5.00	...	5.00
	4406	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*7.00*	*...*	*7.00*	*6.65*	*...*	*6.65*	*7.00*	*...*	*7.00*
5.02 एकीकृत वन संरक्षण योजना	2406	1.60	...	1.60	0.87	...	0.87	3.50	...	3.50
	3601	30.40	...	30.40	17.73	...	17.73	28.50	...	28.50
	3602	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*32.00*	*...*	*32.00*	*18.60*	*...*	*18.60*	*34.00*	*...*	*34.00*
जोड़-वन संरक्षण विकास और पुनर्जनन		**39.00**	**...**	**39.00**	**25.25**	**...**	**25.25**	**41.00**	**...**	**41.00**
6. वन्य जीव संरक्षण										
6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान	2406	7.00	1.65	8.65	7.00	1.52	8.52	8.00	1.52	9.52
6.02 प्रोजेक्ट टाइगर	2406	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	3601	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	25.50	...	25.50
	जोड़	*22.00*	*...*	*22.00*	*22.00*	*...*	*22.00*	*26.00*	*...*	*26.00*
6.03 वन्य जीवन प्रभाग और विशेष कृतिक बलों के लिए परामर्श सुदृढ़ करना	2406	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
6.04 प्रोजेक्ट एलीफेंट	2406	0.27	...	0.27	0.27	...	0.27	0.32	...	0.32
	3601	6.73	...	6.73	6.73	...	6.73	9.68	...	9.68
	जोड़	*7.00*	*...*	*7.00*	*7.00*	*...*	*7.00*	*10.00*	*...*	*10.00*
6.05 केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण	2406	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.50	...	10.50
6.06 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के	2406	2.25	...	2.25	1.75	...	1.75	2.89	...	2.89
आसपास पारिस्थितिकी विकास	3601	42.75	...	42.75	35.22	...	35.22	25.11	...	25.11
	जोड़	*45.00*	*...*	*45.00*	*36.97*	*...*	*36.97*	*28.00*	*...*	*28.00*

Website : http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6.07 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारणों के विकास के लिए सहायता	2406	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	...	...	...
	3601	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	29.00	...	29.00
	3602	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*24.00*	*...*	*24.00*	*23.50*	*...*	*23.50*	*30.00*	*...*	*30.00*
6.08 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवन का संरक्षण	2406	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01	5.00	...	5.00
6.09 पशुओं का कल्याण	2406	...	...	...	15.00	0.53	15.53	18.00	0.53	18.53
जोड़-वन्य जीवन संरक्षण		**120.00**	**1.65**	**121.65**	**120.98**	**2.05**	**123.03**	**137.50**	**2.05**	**139.55**
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	2406	...	3.15	3.15	0.50	3.16	3.66	0.50	3.20	3.70
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	0.72	0.72	0.30	0.71	1.01	...	0.65	0.65
9. राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम										
9.01 राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	2406	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	8.00	...	8.00
9.02 राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम	2406	139.00	...	139.00	121.47	...	121.47	150.00	...	150.00
9.03 ग्रीनिंग इंडिया प्रोग्राम	3601	1.50	...	1.50	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
9.04 रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2406	1.50	...	1.50	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
	3601	1.50	...	1.50	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
	जोड़	*3.00*	*...*	*3.00*	*0.02*	*...*	*0.02*	*2.00*	*...*	*2.00*
9.05 नौंवी योजना की अनुरक्षण लागत सहित अन्य कार्यक्रम	3601	...	...	...	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*12.00*	*...*	*12.00*	*15.00*	*...*	*15.00*
जोड़-राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम		**151.00**	**...**	**151.00**	**141.00**	**...**	**141.00**	**176.00**	**...**	**176.00**
जोड़-वानिकी और वन्य जीवन		**366.00**	**29.41**	**395.41**	**344.03**	**29.65**	**373.68**	**409.00**	**29.70**	**438.70**
पारिस्थितिकी और पर्यावरण										
10. सर्वेक्षण										
10.01 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	3435	5.15	12.39	17.54	5.15	12.38	17.53	6.50	12.62	19.12
	5425	4.85	...	4.85	4.85	...	4.85	8.00	...	8.00
	जोड़	*10.00*	*12.39*	*22.39*	*10.00*	*12.38*	*22.38*	*14.50*	*12.62*	*27.12*
10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	3435	4.85	9.74	14.59	4.85	9.69	14.54	5.75	9.88	15.63
	5425	3.15	...	3.15	3.15	...	3.15	4.75	...	4.75
	जोड़	*8.00*	*9.74*	*17.74*	*8.00*	*9.69*	*17.69*	*10.50*	*9.88*	*20.38*
कुल-सर्वेक्षण		**18.00**	**22.13**	**40.13**	**18.00**	**22.07**	**40.07**	**25.00**	**22.50**	**47.50**
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार										
11.01 पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना	3435	19.00	0.75	19.75	12.00	0.02	12.02	17.00	0.02	17.02
11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	3435	3.00	...	3.00	3.00	0.68	3.68	4.50	0.69	5.19
	5425	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50
	जोड़	*6.00*	*...*	*6.00*	*6.00*	*0.68*	*6.68*	*7.00*	*0.69*	*7.69*
जोड़-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार		**25.00**	**0.75**	**25.75**	**18.00**	**0.70**	**18.70**	**24.00**	**0.71**	**24.71**
12. संरक्षण कार्यक्रम										
12.01 जैव मंडल प्रारक्षण	3435	2.37	...	2.37	2.37	...	2.37	2.37	...	2.37
	3601	2.63	...	2.63	2.63	...	2.63	3.63	...	3.63
	जोड़	*5.00*	*...*	*5.00*	*5.00*	*...*	*5.00*	*6.00*	*...*	*6.00*
12.02 क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	3435	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
12.03 मैंग्रोव पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं और वेट लैंडस	3435	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30
	3601	6.70	...	6.70	6.70	...	6.70	8.70	...	8.70
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*8.00*	*...*	*8.00*	*10.00*	*...*	*10.00*
12.04 राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध	3601	...	...	...	0.26	...	0.26	...	...	...
जोड़-संरक्षण कार्यक्रम		**15.00**	**...**	**15.00**	**14.26**	**...**	**14.26**	**18.00**	**...**	**18.00**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
13. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय										
13.01 पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय	3435	2.00	1.74	3.74	2.00	0.21	2.21	2.50	0.21	2.71
13.02 उत्कृष्टता केन्द्र	3435	8.00	...	8.00	6.15	1.35	7.50	8.00	1.35	9.35
	जोड़	*10.00*	*1.74*	*11.74*	*8.15*	*1.56*	*9.71*	*10.50*	*1.56*	*12.06*
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन										
14.01 अनुसंधान और विकास	3435	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50
14.02 जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	3435	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
14.03 पारिस्थितिकी-विकास बल	3435	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
	जोड़	*20.00*	*...*	*20.00*	*18.00*	*...*	*18.00*	*18.50*	*...*	*18.50*
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	3435	1.50	1.23	2.73	1.50	1.19	2.69	1.50	1.11	2.61
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण										
16. राष्ट्रीय नदी के प्रदूषण की रोकथाम										
16.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	3435	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
16.02 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3435	254.00	...	254.00	278.26	...	278.26	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	159.00	...	159.00
	3602	...	...	...	...	...	...	75.00	...	75.00
16.03 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	3435	30.00	...	30.00	12.19	...	12.19	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	45.00	...	45.00
	जोड़	*290.00*	*...*	*290.00*	*296.45*	*...*	*296.45*	*285.00*	*...*	*285.00*
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम										
17.01 जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (उपकर)	3435	...	50.11	50.11	...	43.86	43.86	...	44.10	44.10
17.02 पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण की स्थापना	3435	2.50	...	2.50	3.28	...	3.28	5.00	...	5.00
17.03 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3435	22.00	...	22.00	20.00	6.47	26.47	22.00	6.47	28.47
17.04 सामान्य निस्सारी शोधन संयत्रों का संवर्धन	3435	2.47	...	2.47	2.47	...	2.47	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
17.05 प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं	3435	10.00	...	10.00	13.54	...	13.54	...	...	...
17.06 अन्य स्कीमें	3435	1.60	7.19	8.79	0.65	...	0.65	2.00	...	2.00
	जोड़	*38.57*	*57.30*	*95.87*	*39.94*	*50.33*	*90.27*	*34.00*	*50.57*	*84.57*
18. प्रभाव मूल्यांकन										
18.01 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	3435	2.00	0.05	2.05	2.00	0.05	2.05	2.80	0.05	2.85
18.02 स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन	3435	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	3.50	...	3.50
	जोड़	*6.00*	*0.05*	*6.05*	*4.00*	*0.05*	*4.05*	*6.30*	*0.05*	*6.35*
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		**334.57**	**57.35**	**391.92**	**340.39**	**50.38**	**390.77**	**325.30**	**50.62**	**375.92**
19. अन्य कार्यक्रम										
19.01 प्रदूषण का शमन	3435	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
19.02 ताज संरक्षण मिशन	3601	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	33.00	...	33.00
19.03 खतरनाक पदार्थ प्रबंध	3435	9.00	...	9.00	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00
19.04 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
19.05 भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना	3435	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19.06 भारतीय पर्यावरण-प्रबंध क्षमता निर्माण तकनीकी परियोजनाएं	3435	38.00	...	38.00	24.20	...	24.20	16.74	...	16.74
19.07 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम	3435	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
19.08 वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना	3435	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50

Website : http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

		बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
19.09 जैव विविधता संरक्षण	3435	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.50	...	3.50
19.10 सूचना प्रौद्योगिकी	3435	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
19.11 वातावरण परिवर्तन परियोजना	3435	12.00	...	12.00	18.50	...	18.50	1.00	...	1.00
19.12 सिविल निर्माण एकक	5425	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.94	...	1.94
19.13 अन्य	3435	1.92	...	1.92	1.29	...	1.29	1.51	...	1.51
	जोड़	*100.93*	*...*	*100.93*	*91.50*	*...*	*91.50*	*77.20*	*...*	*77.20*
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	99.00	...	99.00	86.17	...	86.17	100.00	...	100.00
	4552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*99.00*	*...*	*99.00*	*86.17*	*...*	*86.17*	*101.00*	*...*	*101.00*
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		**624.00**	**83.20**	**707.20**	**595.97**	**75.90**	**671.87**	**601.00**	**76.50**	**677.50**
कुल जोड़		***990.00***	***121.05***	***1111.05***	***940.00***	***113.80***	***1053.80***	***1010.00***	***114.59***	***1124.59***
ग. योजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. वानिकी और वन्य जीवन	12406	366.00	...	366.00	344.03	...	344.03	409.00	...	409.00
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	525.00	...	525.00	509.80	...	509.80	500.00	...	500.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	99.00	...	99.00	86.17	...	86.17	101.00	...	101.00
जोड़		**990.00**	**...**	**990.00**	**940.00**	**...**	**940.00**	**1010.00**	**...**	**1010.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं** : इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **शिक्षा तथा प्रशिक्षण** :-

2.01 **राज्य वन सेवा महाविद्यालय** : देहरादून, बर्नीहाट और कोयम्बतूर में 3 राज्य वन सेवा महाविद्यालय स्थित हैं। ये महाविद्यालय, एस.एफ.एस. अधिकारियों के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं। रेंजर्स कालेज कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। यह कालेज राज्य वन विभागों के रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

2.02 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून** : यह अकादमी देहरादून स्थित भारतीय वन महाविद्यालय का उन्नयन करके तथा इसको वन अनुसंधान संस्थान से असम्बद्ध करके 25.5.1987 को स्थापित की गई थी। अकादमी भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है।

2.03 **भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षणः** इस स्कीम के अधीन भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2.04 **भारतीय वन प्रबंध संस्थान** : इस संस्थान की छठी योजना के दौरान एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापना की गई थी ताकि वन्य आधारित उत्पादों तथा वृहत् वानिकीकरण के संरक्षण, स्थान और समय के अनुसार इसके इष्टतम उपयोग और उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि और विशेष वन कार्यक्रम से संबंधित प्रबन्धकीय कुशलता तथा विशेष योग्यता का विकास किया जा सके।

3. **अनुसन्धान** : यह प्रावधान निम्नलिखित से सम्बन्धित हैः-

3.01 **भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषदः** इसकी स्थापना मौजूदा वन क्षेत्र के संरक्षण का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने और वनों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी। भारतीय वानिकी अनुसन्धान और शिक्षा परिषद को दिनांक 1.6.1991 से स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। वन-अनुसंधान संस्थान, देहरादून एक श्रेष्ठ अनुसंधान केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, आई.सी.एफ.आर.ई. के विभिन्न क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए देश के विभिन्न पर्यावरणीय-भौगोलिक क्षेत्रों में निम्नलिखित पांच संस्थान हैंः

i) काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
ii) वन-आनुवंशिकी और वृक्ष उत्पादन संस्थान, कोयम्बतूर
iii) अस्थायी वन संस्थान, जबलपुर
iv) शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
v) वर्षा तथा आर्द्र अस्थायी वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट

3.02 **भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्था, बंगलौरः** इसकी स्थापना प्लाइवुड उद्योग और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1963 में की गई थी।

4. **वन संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग** : भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतराल पर व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण करता है तथा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आयोजना के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करता है जिसमें सरल वैज्ञानिक वानिकी आयोजना के लिए सूची के द्वारा किया गया मूल्यांकन भी शामिल है।

5. **वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन** : यह अन्धाधुन्ध वन कटाई को रोकने और वन भूमि को वन-भिन्न उपयोग में परिवर्तित करने को रोकने के लिए चल रहा कार्यक्रम है। वनों के प्रभावी संरक्षण के लिए वन संरक्षण बल को सुदृढ़ बनाने, चराई पर नियंत्रण, सिर पर लकड़ी की गठरियों के रूप में ईधन लकड़ी ले जाने पर प्रतिबंध और वैकल्पिक ईधन की पूर्ति का पता लगाया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैः-

– **पुनरूत्पादन-वन प्रभागों का सुदृढ़ीकरण**

– **एकीकृत वन संरक्षण स्कीमः** इसके मुख्य घटक वन अग्नि नियंत्रण और प्रबंधन, सर्वेक्षण और सीमांकन और अतसंरचनात्मक विकास है।

6. **वन्य जीवन संरक्षण** : भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन अनवरत शिक्षा प्रदान करता है तथा वन्य जीवन पर दो वर्षीय एम.एस.सी. पाठ्यक्रम भी आयोजन करता है। प्रचालनाधीन संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीमें "प्रोजेक्ट टाइगर", "प्रोजेक्ट एलीफेंट", "राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारणों का विकास" और महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों का पारिस्थितिकी विकास हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल वन्य जीवन की लुप्त प्रायः जातियों बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी व्यवस्था को भी संरक्षित करना है। अंतिम दो योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा वन्य उत्पादों पर उन की निर्भरता को कम करना भी है। योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से लगे हुए क्षेत्रों में आयोजना के जरिए विभिन्न विशेष सुविधाओं को बढ़ाना भी है।

7. **प्राणी उद्यानः** दसवीं योजना से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है। पशु प्रभाग का कल्याण वर्ष 2002-2003 के दौरान वापस मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

8. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** : इस स्कीम के अंतर्गत, वन उद्योग और वन्य जीवन से संबंधित विविध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

9. **राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम** : राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना अगस्त, 1992 में देश में वानिकीकरण संवर्धन, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनः स्थापन और पारिस्थितिकी विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ हुई। विकृत वन क्षेत्रों और भूमि के सम्पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनमें वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारणों और अन्य

सुरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाटों आदि जैसे पारिस्थितिकी से संबंधित कमजोर क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के तहत आने वाली मुख्य स्कीमें हैं: राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना ग्रीनिंग इंडिया, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम।

10.**सर्वेक्षण-**

10.01 **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षणः** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, निम्नलिखित कार्यों को देखता है (क) देश के सम्पूर्ण वनस्पति संसाधनों का सर्वेक्षण (ख) देश की सभी वनस्पतियों का सम्पूर्ण क्षमता अध्ययन। (ग) लुप्त होते जा रही प्रजातियों की सूची तैयार करना और उनके कारगर संरक्षण के लिए उपाय करना और (घ) मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से और अन्यथा उपयोगी प्रजातियों का पता लगाना संग्रह और संरक्षण करना।

10.02 **भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षणः** भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, समुद्री जन्तुओं सहित जन्तु समूहों के वर्गीकरण, पशु पारिस्थितिकी प्राणी विज्ञान में समूह सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसके मुख्य उद्देश्य हैः- (क) वनस्पति संसाधनों की खोज और सर्वेक्षण, (ख) क्षमता अध्ययन, (ग) लुप्त हो रही प्रजातियों का प्रास्थिति सर्वेक्षण।

11. **पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तारः**

11.01 **पर्यावरण संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीमः** यह मंत्रालय प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आदि के माध्यम से लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों को पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देता है। यह मंत्रालय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तर पर और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके पर्यावरण संबंधी शिक्षा के संवर्धन का कार्य भी कर रहा है। योजना के अंतर्गत आने वाली प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं (क) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (ख) ईको क्लब (राष्ट्रीय हरित फसलें) और (ग) जन जागरूकता।

11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयः इस मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ऐसा केन्द्र है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और संवर्धन की दृष्टि से, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन और पर्यावरण संबंधी संरक्षण के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है ।

12. **संरक्षण कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली मुख्य स्कीमें इस प्रकार हैं:- आर्द्र भूमि और कच्छ वनस्पति का संरक्षण और प्रबंध, जैव मंडल प्रारक्षण और क्षेत्रीय वनस्पति उद्यानों के लिए सहायता।

13. **पर्यावरण संबंधी आयोजना और समन्वयः** इस कार्यक्रम के तहत मुख्य योजनाएं पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (ई एन वी आई एस) और सैंटर ऑफ एक्सीलैंस हैं। ई एन वी आई एस के तहत पर्यावरणीय सूचना एकत्रित करके मिलाई जाती है और 25 संबंधित विशिष्ट ई एन वी आई एस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए प्रयोक्ताओं की विशाल संख्या को प्रसारित की जाती है।

14. **अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनर्जननः** इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विभिन्न संगठनों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय का लक्ष्य पारिस्थितिकी के विकास, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी प्रणाली के पुनरूत्थान और विकृत क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनर्जनन में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है।

15. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** :- इसमें पर्यावरण संबंधी अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनर्जनन के विकास के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अंशदान का प्रावधान किया गया है।

16. **राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण** : सभी राष्ट्रीय नदियों और झीलों को कवर करने के लिए "गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथान और नियंत्रण" सम्बन्धी पूर्ववर्ती स्कीम के क्षेत्र को विस्तृत लिया गया है। राष्ट्रीय नदियों की प्रदूषित धाराओं की सफाई करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। कार्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम विपथन, सीवर की सफाई और पम्प सैटों के नवीकरण से संबंधित है। आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें इस प्रकार हैं: (i) नदी में गिरते हुए गंदे पानी को रोकना और उसका विपथन (ii) जैव-ऊर्जा जैसे संसाधन प्राप्त करने के साथ गन्दे जल का शोधन (iii) कम लागत पर सफाई, जैविक संरक्षण आदि जैसे अन्य सफाई संबंधी उपाय। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत 11 शहरी झीलों को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए संरक्षण हेतु चिन्हीकृत किया गया है।

17. **वायु और जल प्रदूषण का निवारण** - (17.02) मौजूदा प्राधिकारियों के अतिरिक्त, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और वन आयोग का गठन वर्ष 2002-2003 के दौरान किया गया था।

प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं: (I) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता-अनुदान; राज्य सरकारों/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता; और संगत स्कीमों का निधिकरण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इस प्रावधान में सामान्य अपगामी अभिक्रिया संयंत्रों के संवर्धन के लिए दिया गया अनुदान शामिल है।

दसवीं योजना के तहत आयोजना स्कीमों अर्थात पर्यावरणीय लेखापरीक्षा, पर्यावरणीय सांख्यिकी, और नक्शा निर्माण और लघु उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का संरक्षणात्मक कार्यनीतियों के जरिए औद्योगिक प्रदूषण उपशमन के रूप में विलय किया गया।

18. **प्रभाव-मूल्यांकनः** इस कार्यक्रम के तहत मुख्य योजनाएं हैं : पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और प्रदूषण रोधी प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्द्धन। विकास परियोजनाओं की 30 श्रेणियों के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया गया है। वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना का पालन करते हुए सवेंदी क्षेत्रों के परिरक्षण हेतु देश के तटीय खण्डों में कई कार्य कलाप शुरू किए जा रहे हैं।

19. **अन्य कार्यक्रमः**

19.01 **प्रदूषण का शमनः** इन स्कीमों यथा, ताजमहल के संरक्षण सहित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता, पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण तथा खतरनाक पदार्थ प्रबंध का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्रीय/राज्य अनुसंधान संस्थानों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों को प्रदूषण के शमन संबंधी नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी तकनीकी दक्षता से सहायता प्रदान करना है।

19.02 **ताज संरक्षण मिशनः** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, इस मंत्रालय ने ताजमहल के पर्यावरणीय संरक्षण का काम शुरू किया है। यह कार्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और किए जाने वाले आवश्यक पर्यावरणीय उपायों से संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इस काम में ताजमहल के चारों तरफ हरित-पट्टी बनाना भी शामिल है। दसवीं योजना से इस स्कीम के क्षेत्र का अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थलों के लिए भी विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

19.03 **खतरनाक पदार्थ प्रबंधनः**

19.04 **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधनः**

19.05 **भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना (आई सी ई एफ)** : आई.सी.ई.एफ. का गठन मार्च, 1994 में दिल्ली में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के अधीन हुआ था। समझौते के तहत कनाडा द्वारा उपहार में दी गई और सरकारी खाते में डाली गई निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री प्राप्तियां भारत में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आई.सी.ई.एफ. को दे दी जाती हैं।

19.06 **भारतीय पर्यावरण-प्रबंध क्षमता निर्माण परियोजनाः** इस परियोजना के अधीन केन्द्र बिन्दु बेहतर/संसूचित निर्णय करने की प्रक्रिया और पर्यावरणीय विधान लागू करने के लिए पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना है।

19.07 **भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - पर्यावरण सहायता कार्यक्रमः** पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए है और नौवीं योजना के विकेंद्रीकरण तथा जन-सहभागिता से संबंधित प्रमुख मुद्दे पर आधारित है।

19.08 **वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना-** वर्गीकरण कार्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंतरों की पहचान करने के बाद वर्गीकरण में क्षमता निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की गई है।

19.09 **जैव विविधता संरक्षण,** 19.10 **सूचना प्रौद्योगिकी,** 19.11 **मौसम परिवर्तन परियोजना,** 19.12 **सिविल निर्माण एकक,** 19.13 **अन्यः** नई स्कीमों के लिए 10.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

20. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाएं/स्कीमें:** पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीवन के क्षेत्रों में स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।